5 COURT FEE 5 Rs INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

171

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

निगरानी प्रकरण क्रमांक नि.ग -1838-I-16 सन् 2016

श्री अजय श्रीवास्तव (एड.) 8/6/16 को

बालकिशुन यादव तनय श्री बच्चू यादव
निवासी ग्राम हिनौता (मझगुवॉ)
तहसील पन्ना जिला पन्ना म0प्र0
हाल निवासी खाड़खुड़ई तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0 ....निगरानीकर्ता

बनाम

01- रजिया उर्फ रज्जीबाई पत्नी स्व0 श्री जगुवा अहिरवार
निवासी खाड़खुड़ई हाल निवासी मनिया तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0

02- हल्की पुत्री श्री जगुवा पत्नी श्री तेजराम अहिरवार
निवासी ग्राम धमना तहसील राजनगर

03- बिनिया पुत्री श्री जगुवा पत्नी श्री भुमानीदीन अहिरवार
निवासी ग्राम धमना तहसील राजनगर

04- कलियाबाई पत्नी श्री जगुवा पत्नी श्री किलकोटा अहिरवार
निवासी ग्राम उदयपुरा तहसील राजनगर

05- मुलियाबाई पुत्री श्री जगुवा पत्नी श्री संतोष अहिरवार
निवासी राजनगर तहसील राजनगर

06- रामप्यारी पुत्री श्री जगुवा पत्नी श्री बारेलाल अहिरवार
निवासी गड़रपुरा तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0

07- रूकमन पुत्री श्री जगुवा पत्नी श्री धनीराम अहिरवार
निवासी मनिया तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0 ....गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 08.03.2016 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजनगर के प्रकरण कमांक 101/अपील/2014-15 से परिवेदित होकर।

महोदय,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करता है--

01. निगरानी का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि ग्राम खाड़खुड़ई की भूमि खसरा नं0 74/1/क रकवा 2.000हे0 लगान् 5.00 रू0 पटवारी हल्का नं0 73 राजस्व निरीक्षक मण्डल चन्द्रनगर को गैरनिगरानीकर्ता कमांक 1 से निगरानीकर्ता द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के दिनांक 07.10.2015 को मु0 9,00,000/--रू0 मे कय की गई थी तथा कय

बालकिशन

क्रमशः//2//

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक... नि0: 1838/I/16 ...जिला ....छतरपुर.........

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.7.16	1— आवेदक की ओर से अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के प्रकरण क्रमांक 101/अपील/2014—15 में पारित आदेश दि. 08—02—2016 के विरूद्व म०प्र० भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक की ओर विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं प्रस्तुत आर्डरशीट तथा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 07.10.15 का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा क्रयशुदा भूमि खसरा नंबर 74/1/1 रकवा 2.000 हे0 पर नामांतरण हेतु आवेदन नायब तहसीलदार चन्द्रनगर के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें विक्रेता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किए जाने के उपरांत न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति वापस ली है। विक्रेता रजिया की पुत्रियों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की है जबकि वे इस नामांतरण प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है उन्हें अपने स्वत्व के निराकरण हेतु व्यवहार न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कराना चाहिए इस कारण आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिया गया यह तर्क कि रजि. विक्रयपत्र के विधि मान्यता की जॉच की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है। उन्हें मात्र विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण करना चाहिए से सहमत होते हुए प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ। 3— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा प्रचलित कार्यवाही एवं पारित आदेश दिनांक 08.02.16 निरस्त किया जाता है तथा नायब तहसीलदार चन्द्रनगर को निर्देशित किया जाता है कि वे रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 07.10.15 में दर्शित भूमि पर विक्रेता के स्थान पर क्रेता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराये। आदेश की प्रति तहसीलदार चन्द्रनगर तहसील राजनगर को भेजी जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	

[कृ. प. उ.